"बिजनेस पोस्ट के अन्त[illegible] डाक शुल्क के नगद भुगतान (1[illegible] डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुम[illegible] [illegible]मांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2005—आषाढ़ 30, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई, 2005 (आषाढ़ 30, 1927)

क्रमांक-9298/विधान/2005.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17 सन् 2005), जो दिनांक 21 जुलाई, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(एक) "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004).

(दो) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची.

धारा-2 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (नौ) का लोप किया जाये.

धारा-3 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये.

"(1) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी. विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जो कुलाधिपति, कुलपति की कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् के सदस्यों से मिलकर बनेगा और ऐसे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके ऐसे अधिकारी या सदस्य बन गये हैं, ऐसे पद धारण करने या ऐसी सदस्यता धारण तक ऐसे पद पर बने रहेंगे."

धारा-10 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये :—

"कुलाधिपति अपने पद के आधार पर मानद अधिकारी होगा और जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा."

धारा-11 का संशोधन. 6. (एक) मूल अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (8) में शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" स्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए,—

"परन्तु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद् , एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्तीय विशेषज्ञ होगा जो कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी."

7. मूल अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए,— धारा-12 का संशोधन.

"कुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी, रुग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा-11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पदग्रहण या पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है :—

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छः मास से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा."

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए,— धारा -13 का संशोधन.

"और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में महापरिषद् के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा" एवं "महापरिषद् का सदस्य तथा"

(2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) में "महापरिषद्" को लोप किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) में शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" स्थापित किया जाए.

9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में शब्द "महापरिषद्" का लोप किया जाए. धारा -14 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (एक) का लोप किया जाए. धारा -16 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाए. धारा -17 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाए. धारा -18 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाए. धारा -19 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 20 का लोप किया जाए. धारा -20 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 21 का लोप किया जाए. धारा -21 का संशोधन.

16. (1) मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) में "विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो" के स्थान पर "विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित तीन विधायक" स्थापित किया जाए. धारा -22 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) को लोप किया जाए.

17. (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में "और उन्हें महापरिषद् के समक्ष उसके विचारार्थ रखना" के स्थान पर "और उन्हें पारित करना" स्थापित किया जाए. धारा -23 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (पांच) के उपखण्ड (क) का लोप किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (सत्रह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए ; अर्थात् :—

(क) (1) निवेश बाह्य अध्यापन तथा गवेषणा,



(2) विश्वविद्यालय विस्तार सम्बन्धी क्रियाकलाप,

(3) दूरस्थ शिक्षा.

(ख) (1) शारीरिक प्रशिक्षण,

(2) विद्यार्थी कल्याण,

(3) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रियाकलाप,

(4) समाज सेवी योजनायें,

(5) राष्ट्रीय कैडेट कोर.

धारा -24 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) में निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—

"चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी. समिति में कुलपति तथा उपधारा (1) के खण्ड (पांच) या (छः) में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी."

धारा -29 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए;

"प्राधिकरणों तथा समितियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों जिन्हें विहित किया जाए, के संदाय के लिए."

धारा -30 का संशोधन.

20. (1) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—

"विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जायेगी, जो कि 15 मास से अधिक न हो."

(2) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—

"संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्यपरिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी तथा उसे विधान सभा के पटल प्रस्तुत किया जायेगा."

धारा -31 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए,—

"तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी."

धारा -40 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में शब्द "विषय में पांच विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से" का लोप किया जाए.

धारा -42 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) में शब्द "तकनीकी शिक्षा/जनसम्पर्क" के स्थान पर शब्द "उच्च शिक्षा विभाग" स्थापित किया जाए.

धारा -43 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम 43 की उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "धारा 11, 12, 21, 24, 34, 35 तथा 41 उपबन्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे." के स्थान पर शब्द "धारा 11, 22 तथा 25 के उपबन्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे" स्थापित किया जाए.

25. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) में शब्द "सचिव जनसम्पर्क" के स्थान पर शब्द "सचिव उच्च शिक्षा" स्थापित किया जाए. धारा -49 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में शब्द "महापरिषद्" का लोप किया जाए. धारा -51 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 55 का लोप किया जाए. धारा -55 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 56 का लोप किया जाए. धारा -56 का संशोधन.

अनुसूची

(धारा 43 देखिए)

1. 11 कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलाधिपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा. कुलपति की नियुक्ति.

2. 22 (1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :— कार्यपरिषद्.

(1)	कुलपति	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
(5)	एक संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा.	सदस्य
(6)	कुलसचिव	सचिव

(2) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार रहेगा. धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि तक रहेगा.

(3) कार्यपरिषद् के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

3. 25 (1) विद्यापरिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :— विद्यापरिषद्.

(1)	कुलपति	अध्यक्ष
(2)	कुलसचिव	सचिव
(3)	विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के दो शिक्षक जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे.	सदस्य
(4)	एक शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.	सदस्य

(2) विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि तक रहेगा.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य शासन ने यह सामान्य निर्णय लिया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सभा समाप्त की जावे तथा उनकी कार्यपरिषदों में विधान सभा के दो सदस्यों को सम्मिलित किया जावे.

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सभा के समकक्ष महापरिषद् का प्रावधान है. राज्य सरकार के उक्त दर्शाये सामान्य निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विश्वविद्यालय में भी महापरिषद् की व्यवस्था समाप्त की जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) को और अधिक प्रभावी एवं युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है जिसके लिए इस अधिनियम में कुछ संशोधन आवश्यक समझे गये हैं. इन सब बातों को प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 19-07-2005

अजय चंद्राकर
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) के सुसंगत उद्धरण

धारा-2(9) का संशोधन.	1.	2 (नौ)	"महापरिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की महापरिषद्.
धारा-3(1) का संशोधन. (विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन)	2.	3 (1)	कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी. विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जो कुलाधिपति, कुलपति, महापरिषद् की कार्यपरिषद् के और विद्यापरिषद् के सदस्यों से मिलकर बनेगा और ऐसे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके ऐसे अधिकारी या सदस्य बन गए हैं, ऐसे पद धारण करने या ऐसे सदस्यता धारण तक ऐसे पद पर बने रहेंगे.
* * * * * *	* * *	* * *	* *
धारा-10(2) का संशोधन. कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.	3.	10 (2)	कुलाधिपति मानद अधिकारी होगा और अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा महापरिषद् का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, महापरिषद् के सम्मेलनों की तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.
* * * * * *	* * *	* * *	* *
धारा-11(8) का संशोधन.	4.	11(8)	राज्य शासन एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छ: माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा.

धारा-12(6) का संशोधन.

5. 12 (6) कुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी, रुग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पदग्रहण या पुन:ग्रहण नहीं कर लेता है ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छ: मास से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा.

* *

धारा-13(1) व (9) का संशोधन.

कुलपति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

6. 13 (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में महापरिषद् के सम्मिलिनों की अध्यक्षता करेगा. वह कार्यपरिषद् का तथा विद्यापरिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष महापरिषद् का सदस्य तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों समितियों तथा निकायों का जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह सम्बन्धित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो.

(9) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की महापरिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन नियत तारीख से छ: माह की कालावधि के भीतर करें.

* *

धारा-14(1) का संशोधन.
कुलसचिव.

7. 14 (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन, कुलपति के साधारण अधीनक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा. वह महापरिषद् के, कार्यपरिषद् के, विद्यापरिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

* *

धारा-16(1) का संशोधन.
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

8. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :-

16. (एक) महापरिषद्

* *

धारा-17 का संशोधन.
महापरिषद् का गठन.

9. महापरिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्-

17. (एक) कुलाधिपति ;
(दो) छ. ग. से लोकसभा का एक सदस्य जो मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाएगा ;
(तीन) राज्यसभा का एक सदस्य जो मुख्यमंत्री छ. ग. द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;
(चार) मंत्री, वित्त ;
(पांच) मंत्री, जनसम्पर्क ;
(छ:) मंत्री, उच्च शिक्षा ;

(सात) छ. ग. से सम्बद्ध दो प्रख्यात व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जायेंगे ;

(आठ) भारतीय प्रेस कौंसिल का अध्यक्ष या इसके द्वारा नामांकित व्यक्ति ;

(नौ) कुलपति;

(दस) छ. ग. के विश्वविद्यालय का एक कुलपति जो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(ग्यारह) प्रमुख सचिव/सचिव, जनसम्पर्क विभाग ;

(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ;

(तेरह) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग ;

(चौदह) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(पन्द्रह) विधान सभा के तीन सदस्य, जिनका नाम विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित ;

(सोलह) एक व्यक्ति, जो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा ;

(सत्रह) एक व्यक्ति, जो भारत के फिल्म और दूरदर्शन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा ;

(अठारह) विश्वविद्यालय के संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग से दो आचार्य, जिन्हें कुलपति द्वारा (चक्रानुक्रम से) नाम निर्देशित किया जायेगा ;

(बीस) विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग से एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिन्हें कुलपति द्वारा (चक्रानुक्रम से) नाम निर्देशित किया जायेगा ;

(इक्कीस) पत्रकारिता का एक ख्यात अध्यापक जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(बाइस) जनसम्पर्क के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(तेईस) छ. ग. से प्रकाशित होने वाली किसी हिन्दी दैनिक समाचार पत्र का एक संपादक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(चौबीस) तीन विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्र के तीन संपादक जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ;

(पच्चीस) तीन योग्य विद्यार्थी जो अध्ययन बोर्डों के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये गये हों ;

(छब्बीस) ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति जो पांच लाख रुपये या उससे अधिक का दान करें.

* *

धारा-18 का संशोधन. 10. 18. (1) कुलाधिपति महापरिषद् का अध्यक्ष होगा.

अध्यक्ष और सचिव. (2) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, महापरिषद् का सचिव होगा.

* *

धारा-19 का संशोधन. 11. 19. (1) महापरिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी.

महापरिषद् के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तें. (2) जहां महापरिषद् का कोई सदस्य पद या नियुक्ति, जो वह धारण करता है, के कारण ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नाम निर्देशित सदस्य है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जबकि वह ऐसा पद धारण करने से या नियुक्ति से प्रवरित हो जाता है या जब उसका नाम निर्देशन वापस ले लिया जाता है.

* *

धारा-20 का संशोधन. 12. 20. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महापरिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

महापरिषद् की शक्तियां तथा कर्त्तव्य. (1) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों के सम्बन्ध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना.

(2) विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिए उपाय सुझाना.

(3) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा तत्सम्बन्धी संपरीक्षा रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना.

(4) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना.

(5) सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या-सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं कार्यपरिषद् की सिफारिश पर प्रदान करना.

(6) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का उस दशा में के सिवाय जहां कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हों, पुनर्विलोकन करना.

(7) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा इसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

* *

धारा-21 का संशोधन. महापरिषद् द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समितियों का गठन.

13. 21. महापरिषद् किसी कार्य या कार्यों को निष्पादित करने हेतु सलाह देने स्थायी समिति या तदर्थ समिति का गठन कर सकेगी तथा समिति को सहायता करने हेतु किसी विशेषज्ञ को सहयोजित भी कर सकेगी.

* *

धारा-22 का संशोधन. कार्यपरिषद्.

14. 22. (1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

(एक)	कुलपति ;	अध्यक्ष
(दो)	मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो ;	सदस्य
(तीन)	विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो ;	सदस्य
(आठ)	महापरिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न दो सदस्य, जो महापरिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जाएंगे.	सदस्य

* *

धारा-23 का संशोधन.

15. 23. (चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना और उन्हें महापरिषद् के समक्ष उसके विचारार्थ रखना ;

(पांच) (क) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों को महापरिषद् के सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अंगीकृत करना.

(सत्रह) निम्नलिखित के लिए अव्यवस्था करना-

(एक) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा ;

(दो) विश्वविद्यालय विस्तार सम्बन्धी क्रियाकलाप ;

(तीन) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा -

(क) शारीरिक प्रशिक्षण ;
(ख) विद्यार्थी कल्याण ;
(ग.) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रियाकलाप;
(घ) समाज सेवा स्कीमें ; और
(ङ) राष्ट्रीय कैडेट कोर ;

* *

धारा-24 का संशोधन.

16. 24. (4) चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी, जिसमें कुलपति तथा उपधारा (1) के खण्ड (सात) या (आठ) में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

* *

धारा-29 का संशोधन. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

17. 29. (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एवं निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा.

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रति संदाय के लिए ;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों, निवास स्थान तथा छात्र-निवास के अनुरक्षण के लिए ;

(च) महापरिषद्, कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्यों के यात्रा-भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिये.

* *

धारा-30 का संशोधन. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.

18. 30. (2) कार्यपरिषद् द्वारा महापरिषद् के अनुमोदन से नियुक्त किये गए स्थानीय संपरीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ;

(3) राज्य सरकार को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि लेखे की विशिष्ट संपरीक्षा की जाए ;

(4) लेखाओं की संपरीक्षा हो जाने पर उनका प्रकाशन महापरिषद् द्वारा किया जायेगा और लेखाओं की प्रति, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ महापरिषद् के समक्ष रखी जायेगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी.

* *

धारा-31 का संशोधन. (वार्षिक रिपोर्ट)

19. 31. (2) तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट महापरिषद् के अनुमोदन हेतु उसके वार्षिक सम्मिलन में कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तुत की जाएगी.

* *

धारा-40 का संशोधन. (प्रवरण समिति)	20.	40.	(1) प्रवरण समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे- (एक) कुलपति- अध्यक्ष (दो) सम्बद्ध विषय में विश्वविद्यालय विभाग/केन्द्र का प्रमुख यदि वह आचार्य है या जहां समबद्ध विषय में विश्वविद्यालय विभाग का प्रमुख आचार्य नहीं हो, या आचार्य के पद के लिए प्रवरण किया जाना हो तो सम्बद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष. (तीन) विषय में तीन विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से एक विशेषज्ञ जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संशक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा. (चार) विषय में पांच विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से तीन विषय विशेषज्ञ जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित न हो, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा-42(6) का संशोधन.	21.	42 (6)	विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन के दिये गये निर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या सम्पत्ति के दुरुपयोजन के लिये जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी. परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर सम्बन्धित व्यक्ति को न दे दिया गया हो, और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा-43 का संशोधन. (कतिपय परि-स्थितियों में विश्व-विद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपान्तरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति)	22.	43 (1)	यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना) में वर्णित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 11, 12, 21, 24, 34, 35 तथा 41 उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा-49(2) का संशोधन.	23.	49 (2)	सेवा सम्बन्धी मामले से सम्बन्धित कोई विवाद जो किसी विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के बीच हुई किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत होता है, कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जायेगा और कुलपति के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील कुलाधिपति को होगी, जो विवाद को स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे उस प्रयोजन के लिये गठित किसी ऐसे अधिकरण को निर्देशित करेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्- (एक) सचिव, जनसम्पर्क ;

(दो) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या कुलपति रह चुका हो ;

(तीन) कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार का सचिव हो या सचिव रह चुका हो.

* *

धारा-51(1) का संशोधन.

(विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र)

24. 51. (1) महापरिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का संकायाध्यक्ष कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा त्यागपत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किए जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायेगा.

* *

धारा-55 का संशोधन.

(मानद उपाधि)

25. 55. यदि विद्यापरिषद् के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्यों ने यह सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाए कि वह उनकी राय में, उसकी उत्कृष्ट योग्यता के कारण ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि पाने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है तो महापरिषद् संकल्प द्वारा यह विनिश्चत कर सकेगी कि वह इस प्रकार अनुशंसित व्यक्ति को प्रदान की जाए.

* *

धारा-56 का संशोधन.

सम्पत्ति का अंतरण

26. 56. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा नैतिक कदाचार या घोर कदाचार का दोषी पाया जावे तो महापरिषद् अपनी बैठक में दो तिहाई से अधिक सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित कर मानद उपाधि के अतिरिक्त विशेष विद्वत उपाधि, विशेषाधिकार वापस करेगा.

(2) जिसके विरुद्ध इस उपखण्ड के अधीन कार्यवाही विचाराधीन हो तब तक कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को अवसर न दिया गया हो.

(3) सामान्य परिषद् के द्वारा पारित संकल्प की प्रति यथाशीघ्र सम्बन्धित व्यक्ति को दी जावेगी.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.